("ग्रामीण सेवा शिविर–2025")

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार मण्डावर बनाम रामअवतार

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.न. 604/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर–2025" के दौरान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का ऊकरूंद ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का ऊकरूंद के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि प्रार्थी के परदादा स्व. चन्दर पुत्र श्योजी जाति मीना की मृत्यु के उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण सं. 133 ग्राम वीरसाना में दिनांक 8.7.1987 को धोली बेटा प्रभु हि. 1/3, रंगलाल, हरलाल पिता चन्दर हिस्सा 2/3 जाति मीना सा. देह के नाम स्वीकार हुआ। सेटलमेण्ट खतौनी संवत 2050 में भी धोली बेटा प्रभु हि. 1/3 दर्ज है परन्तु जमाबंदी संवत 2054–2057 में सहवन से धोली बेवा प्रभू हि. 1/3 दर्ज हो गया जो कि आज दिनांक तक भी धोली पत्नी प्रभु हि. 1/3 दर्ज है। मेरे दादा जी का नाम स्व. गुलाब पुत्र चन्दर था जो कि मेरे परदादा की मृत्यु से पहले ही खत्म हो चुके थे। इस क्रम में सरपंच, ग्राम पंचायत धौलखेडा व सह खातेदारों का सत्यापन व मतदाता सूची संलग्न है। अतः निवेदन है कि धोली पत्नि प्रभु की बजाय प्रभु पुत्र धोली हिस्सा 1/3 दर्ज करवाने की कृपा करे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है इसलिए प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। **आदेश** हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सुनाया गया। (अमित कुमार वर्मा) R.A.S उपखण्ड अधिकारी मण्डावर दौसा उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	